

कौटिल्य का मंडल सिद्धांत

कौटिल्य ने राज्य के आंतरिक एवं बाह्य सम्बंधों के लिए जिस सिद्धांत का वर्णन किया है उसे मंडल सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर एक राज्य अन्य दूसरे राज्यों के साथ अपने सम्बंधों का विश्लेषण करता है। आचार्य कौटिल्य ने पड़ोसी राज्यों के साथ सम्बंधों को स्थापित करने हेतु मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।

मंडल सिद्धांत तत्कालीन भारत के अनेक राज्यों की दृष्टि में रखते हुए रचा गया है। मंडल का अर्थ होता है - राज्यों का वृत्त। यह सिद्धांत एक राजा की विजय की आकांक्षा रखने वाला समझकर उसके अन्य सम्बंधित राज्यों को मंडल का सदस्य मानकर चलता है। कौटिल्य के अनुसार मंडल में कुल 12 राज्य होते हैं -

1. विजिगीषु -

अपने राज्य के विस्तार की आकांक्षा रखने वाला राज्य विजिगीषु कहलाता है। इसका

स्थान मंडल के मध्य में होता है। विजिगीषु राज्य बहुत ही महत्वकांक्षी एवं केंद्रीय होता है।

2. अटि राज्य -

विजिगीषु से ठीक सटा हुआ राज्य उसका शत्रु होता है, इसलिए वह अटि कहलाता है। कौटिल्य ने इसके तीन प्रकार बताए हैं -
(i) प्राकृतिक अटि (ii) सख्य अटि (iii) कृत्रिम अटि।

3. मित्र राज्य -

विजिगीषु के राज्य से अलग, किन्तु अटि से सटा हुआ राज्य मित्र राज्य कहलाता है। मित्र राज्य को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है - (i) प्राकृतिक मित्र राज्य (ii) सख्य मित्र राज्य (iii) कृत्रिम मित्र राज्य।

4. मध्यम राज्य -

मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अटि राज्य दोनों की सीमा से लगा हो। इसका संबंध दोनों राज्यों से रहता है। इसे इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर यह दोनों राज्यों का सामना कर सके।